

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:- प0 12(7)वन/2013

जयपुर, दिनांक
20 JUL 2023

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प. 12(5)वन/2012 दिनांक 26.08.2022 के क्रम में सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्त निम्न अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण नहीं किए जाने से इनकी विभाग में नियुक्ति एतद्वारा निरस्त की जाती है:-

क्र.स	नाम सर्वश्री/ सुश्री/श्रीमती	जन्म दिनांक	रोल नम्बर	मेरिट क्रमांक	निरस्तीकरण का कारण
1.	सारिका भूरा	15.06.1995	336326	3	एक्सटेंशन अवधि (06 माह) पूर्ण होने के उपरांत अनुपस्थित
2.	हेमंत कुमार	20.09.1995	330097	10	एक्सटेंशन अवधि (06 माह) पूर्ण होने के उपरांत अनुपस्थित
3.	सुनील कुमार पारीक	21.06.1990	35078	77	एक्सटेंशन अवधि (06 माह) पूर्ण होने के उपरांत अनुपस्थित
4.	प्रियंका मीणा	04.07.1983	383960	113	एक्सटेंशन अवधि (06 माह) पूर्ण होने के उपरांत अनुपस्थित

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अंजू राजपाल) 20/07/23

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय वन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
8. उ. व. संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्यो., कार्या. प्र.मु.व.स को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप वन संरक्षक, संस्थापन (राजपत्रित), कार्यालय प्र.मु.व.स, जयपुर को नियुक्ति आदेशों की तामील हेतु।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

ACF मती
21/7/23

संयुक्त शासन सचिव